

12/17

अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आगामी दिनांक 27.4.17 को पेश हो।

9/3/17

अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आगामी दिनांक 27.4.17 को पेश हो।

27/4/17

अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/अवकाश पर है/का पद रिक्त है। पत्रावली गत/आगामी दिनांक 27.4.17 को पेश हो।

2.5.17

पक्षकारान स चर्चा/समझाईस करने हेतु प्राकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर में रखा जावे। संबंधित पक्षकारान एव विद्वान अभिभाषक को सुचनापत्र जारी करें दिनांक 15.6.17 को राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मुकाम मीराकोलेगा पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर

वामनवास (संख्या 0)

श्रीमती

दे: मांटे

15/6/17

राम

पत्रावली गत राजस्व लोक अदालत कैम्प मीराकोलेगा में पेश हुई वादी व प्रतिवादीगण त्वय उपर पक्षकारान से उपरिष्कार होकर उचित पत्र शरीरमा पेश किया। पत्रावली का हबलेकर किया गया। पक्षकारान गत उत्तर उत्तर पत्र अनुसार दावा डिक्ली किया जाय है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली कैमल शुमाट होकर नम्बर से कम हो बाद नकमील दारिबल दफतर ही

उप जिला कलेक्टर  
वामनवास (संख्या 0)

राजस्थान -सरकार  
डिकरी व मुकदमें इब्दाई  
( आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्दा दिवानी )

अज अदालत : - उपजिला कलेक्टर बामनवास  
केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मीना कोलेता  
इजलास: :- रामकिशोर मीना ( आर.ए.एस. )

1. रामजीलाल पुत्र बंशी जाति ब्राहमण निवासी जगरामपुरा तहसील बामनवास  
:-वादी:-

**बनाम**

1. मीठया पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी मीना कोलेता तहसील बामनवास
2. रामजीलाल पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी मीना कोलेता तहसील बामनवास
3. रामप्रसाद पुत्र सोन्या जाति बैरवा निवासी मीना कोलेता तहसील बामनवास
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

:- प्रतिवादी :-

दावा बाबत धोषणा दुरस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधज्ञा

मुकदमा नु. :-90/2013

निर्णय:- 15.6.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी :-लैण्ड  
होल्डर मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर हुकम दिया जाता है  
कि :-वाद वादी /प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार अंतिम डिक्री किया  
जाकर निम्न प्रकार पक्षकारान को खातेदार धोषित किया जाता है :-

1. ग्राम जगरामपुरा तहसील बामनवास के आराजी ख.न. 357/543 रकवा 0.37  
हेक्ट. ,ख.न. 560/543 रकवा 0.38 हेक्टर का वादी एवं ख.न. 354 रकवा 0.  
70 हेक्टर का प्रतिवादीगण को खातेदार धोषित किया जाता है । डिक्री  
अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती करने के आदेश तहसीलदार बामनवास को  
दिये जाते है । वादी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं डिक्री निर्णय  
का भाग रहेगा । डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बामनवास को तहरीर  
जारी की जावे ।

यह निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत  
मीना कोलेता पर सुनाया गया ।



( रामकिशोर मीना )  
उपजिला कलेक्टर  
बामनवास  
उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (सं०मा०)